राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3568–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 8.7.2013 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ग्वालियर, प्रकरण कमांक 34/सी–132/11–12/49.

सुमित कुमार दुबे आत्मज अशोक कुमार दुबे,
निवासी भगवती अपार्टमेंट, जीवाजीनगर,
ठाटीपुर, मुरार, ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश राज्य,
द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, ग्वालियर .....अनावेदक

श्री एस0पी0 शुक्ला, अभिभाषक, आवेदक
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक

:: **आ दे श** ::
(पारित दिनांक 13 जून, 2014)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (जिसे आगे संक्षेप में केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56(4) के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.7.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष उसके द्वारा रूपये 1,29,500/– के कय किये गये नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प वापिस कर

भुगतान कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण कमांक 34/सी–132/11–12/49 दर्ज किया जाकर, दिनांक 8.7.2013 को आदेश पारित कर रूपये 1,29,500/– का भुगतान अस्वीकार किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि विक्रय पत्र निष्पादित होने के उपरांत विक्रेता ने पंजीयन कराने से इन्कार कर दिया, इस कारण स्टाम्प अनुपयोगी हो गये, इसलिये उसके द्वारा स्टाम्प वापिस कर भुगतान करने हेतु कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे निरस्त करने में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अवैधानिक कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अधिनियम की धारा 49 में स्टाम्प वापिस कर भुगतान करने का प्रावधान है, और उसमें दर्शाई गई परिस्थितियां इस प्रकरण में विद्यमान हैं, क्योंकि विक्रय पत्र का पंजीयन कराने से विक्रेता ने इन्कार कर दिया है, इसके बावजूद कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने भुगतान निरस्त करनें विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश निरस्त कर भुगतान कराने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के प्रकरण संलग्न अधिनियम की धारा 49(घ)(3) में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी व्यक्ति द्वारा दस्तावेज निष्पादित करने से इन्कार किये जाने के कारण वह इस रूप में पूर्ण नहीं की जा सकती, जिससे आशयित संव्यवहार को अपेक्षित प्ररूप में प्रभावी बनाया जा सके, तो खराब हुए स्टाम्प के लिये छूट दी जा सकेगी । वर्तमान प्रकरण में विक्रेता द्वारा विक्रय पत्र पंजीकृत कराने से इन्कार करने के कारण रूपये 1,29,500/– के स्टाम्प खराब हुए हैं, अतः आवेदक को खराब हुए स्टाम्प से छूट प्राप्त करने की पात्रता है, इस सम्बन्ध में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण की परिस्थितियों पर बिना विचार किये यह निष्कर्ष निकालने में त्रुटि की गई है कि अधिनियम की धारा 49 में दिये गये आधारों में से कोई भी आधार आवेदक के आवेदन में नहीं है, क्योंकि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को केवल

आवेदन पत्र पर ही विचार कर निष्कर्ष नहीं निकाला जाकर, प्रकरण की समग्र परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आदेश पारित करना था । इस प्रकार कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश वैधानिक दृष्टि से उचित आदेश नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.7.2013 निरस्त किया जाता है । आवेदक को खराब हुए स्टाम्प का भुगतान किये जाने के आदेश दिये जाते हैं ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर